निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण
का
प्रचार–प्रसार

फैक्स/ई–मेल

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक – बी1–3–104/2011–५०५५ पटना, दिनांक २६ जुलाई, 2011 ई0।

प्रेषक

कुमार अंशुमाली,
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी (बिहार राज्य)।

विषय :– दिनांक 01.01.2012 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की जाने वाली निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रचार–प्रसार।

प्रसंग :– श्री जे0 के0 राव, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 494/SVEEP/2011(SR) दिनांक 12.07.2011.

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि फोटो निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2012 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान/कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाये, जिससे शत–प्रतिशत योग्य व्यक्तियों का पंजीकरण निर्वाचक सूची में कराया जा सके तथा शत–प्रतिशत निर्वाचकों को मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निम्नांकित कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया है :–

1. **स्थिति का विश्लेषण**

I. वैसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया जाना, जिनमें निर्वाचक : जनसंख्या अनुपात (E:P Ratio) कम है तथा इनके कारणों की समीक्षा करना।

II. वैसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया जाना, जिनमें अधिक संख्या में भेद्य मतदाता समूह हों।

III. इसके अतिरिक्त वैसे मतदान केन्द्रों को भी चिन्हित किया जाना आवश्यक है, जिनमें फोटो/ईपिक आच्छादन का प्रतिशत कम है।

IV. उपर्युक्त सभी मतदान केन्द्रों के मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर इन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

2. **रणनीति**

I. इस बात को ध्यान में रखते हुये कि निर्वाचक सूची में निर्वाचकों द्वारा नाम निबंधित/दर्ज कराये जाने की प्रक्रिया अभी भी काफी जटिल है, आयोग का यह निदेश है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने हेतु निर्वाचकों को सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जाये।

II. मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों का विवरण प्रचारित किये जायें ताकि यह आम जनों को सुलभ हो सके तथा इसके लिये "Know your BLO" अथवा "अपने बी0एल0ओ0 को जानें" जैसे अभियान चलाये जायें।

III. सभी बी0एल0ओ0 की सहायता हेतु "Resident Welfare Associations" एवं "Civil Society Organisations" की सेवा ली जाये ताकि वे बी0एल0ओ0 के साथ मतदान केन्द्र स्तरीय स्वयंसेवी इकाईयों (Booth Level Volunteers) के रूप में कार्य कर सकें।

IV. बड़े संस्थानों/कॉरपोरेटों से संपर्क किया जाना चाहिये ताकि उनके कर्मियों का निर्वाचक सूची में निबंधन कराया जा सके। इसके लिये वैकल्पिक निबंधन केन्द्र की स्थापना की जाये।

V. प्रारूप निर्वाचक सूची की प्रति सिविल सोसायटी संगठनों एवं राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायी जाये। सिविल सोसायटी को यह सी.डी. के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है।

VI. मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रचार सामग्री को विश्वस्त सिविल सोसायटी संगठनों एवं मीडिया समूहों के बीच वितरित किया जाये।

VII. शिक्षण संस्थानों में मॉक निबंधन एवं मतदान के कार्यक्रम आयोजित किये जायें। "Bulk SMS/E-mail" का उपयोग प्रचार हेतु किया जाये।

VIII. सभी प्रमुख स्थलों पर फॉर्म 6, 6क, 7, 8 एवं 8क की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

IX. फॉर्म 6, 6क, 7, 8 एवं 8क सभी शिक्षण संस्थानों (उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों) में उपलब्ध कराये जायें ताकि अगर कोई विद्यार्थी 18 वर्ष की उम्र का हो गया हो तो वह इसे भरकर समर्पित कर सके।

X. विद्यालयों/महाविद्यालयों में फॉर्म को भरने हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायें।

XI. प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से मतदाता जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।

XII. कम–से–कम दो क्षेत्रीय/स्थानीय आईकन (ICON) को चिन्हित किया जाये तथा उनके माध्यम से निर्वाचक सूची में निबंधन के लिये आहवान उक्तियां (Promos) तैयार कर आयोग के पूर्वानुमोदन के उपरांत उपयोग में लायी जायें।

XIII. सिविल सोसाईटी संगठन, अर्द्ध–सरकारी संगठन एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सेवायें शहरी क्षेत्रों में ली जाये तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, आंगनवाड़ी, स्वयं सहायता समूहों की सेवायें ग्रामीण क्षेत्रों में ली जाये।

3. क्रियान्वयन

I. राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2011 के लिए तैयार की गई प्रचार सामग्रियों का उपयोग, आवश्यक संशोधन करने के उपरांत, संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2012 के लिए विस्तृत रूप से किया जाये।

II. विगत संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्रयोग में लाई गई प्रचार सामग्रियां, संशोधित एवं अद्यतीकृत करते हुए, उपयोग में लाई जाये।

III. अन्य राज्यों की सफलता की कहानियों (success stories) का, जहां उपयुक्त समझी जायें, अभियान में प्रयोग किया जाये।

IV. संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2012 तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2012 के लिए नई प्रचार सामग्रियों को आवश्यकतानुसार विकसित कर इस कार्यालय के अनुमोदन के उपरांत प्रयोग में लाया जाना है।

4. समय सीमा

संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2012 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निश्चित रूप से दिनांक 01.08.2011 से प्रारंभ किया जाना है तथा इसे 01.11.2011 तक चलाया जाना है। पुनः दिनांक 01.12.2011 से सात सप्ताह का प्रचार कार्यक्रम राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2012 के लिए प्रारंभ किया जाना है।

5. अनुश्रवण एवं समीक्षा

I. एस.वी.ई.ई.पी. (SVEEP) अभियान का यह उद्देश्य होना चाहिए कि निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने योग्य व्यक्तियों तक पहुंचा जा सके।

II. सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, पेशेवर व्यक्तियों/पेशेवर संस्थाओं/विशेषज्ञों के साथ निर्वाचकों के निबंधन संबंधी आंकड़ों पर परिचर्चा की जानी चाहिए। सभी तरीकों तथा निबंधन की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए, खासकर जिन जनसंख्या समूहों के सदस्यों के नाम दर्ज नहीं हो पा रहे हैं वहां पंजीकरण के संबंध में कार्य योजना तैयार की जानी चाहिये, ताकि लक्षित हस्तक्षेप किया जा सके।

III. पूर्व में यह देखा गया है कि युवा, शहरी मतदाता, महिला, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले समूह, सेवा मतदाता इत्यादि वैसे समूह हैं, जिनमें निर्वाचक सूची में नाम दर्ज होने का प्रतिशत कम है। एस.वी.ई.ई.पी. अभियान का यह उद्देश्य होना चाहिए कि सिविल सोसायटी संगठन/अर्द्ध–सरकारी संगठन/युवा संगठन/मीडिया समूहों के साथ विमर्श कर उक्त समूहों के पंजीकरण के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाये।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के आलोक में शीघ्र बिन्दुवार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाये। साथ ही यह भी अनुरोध है कि विगत् बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2010 तथा मतदाता जागरूकता अभियान, 2011 के अनुरूप मतदाता सूची पुनरीक्षण, 2012/राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2012 के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय स्तर पर होर्डिंग, पोस्टर, पैम्फलेट, सिनेमा स्लाइड, केबल नेटवर्क, रैली, मैराथन, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, प्रदर्शनी वाहन इत्यादि के माध्यम से करने एवं प्रचार अभियान में भारत सरकार/बिहार सरकार की मीडिया यूनिटों यथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, इत्यादि का भी सहयोग लेते हुए किया जाये तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार कर इस कार्यालय को दिनांक 30.07.2011 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

26.7.11

(कुमार अंशुमाली)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांकः– ५९५५ पटना, दिनांक 26 जुलाई, 2011 ई0।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त (बिहार राज्य) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है सभी जिला पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को ससमय आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा करेंगें।

26.7.11

(कुमार अंशुमाली)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।